न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नन्दकिशोर वगैरह बनाम श्रीमती प्रेम देवी व अन्य
किस्म मुकदमा– 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या –: 322/2024 (भिनाय)

क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज
18/12/24

	श्री हसन खान एडवोकेट श्री	
	नन्दकिशोर वगैरह बनाम श्रीमती प्रेम देवीव अन्य (322/2024)	
18.12.2024	यह अपील श्री हसन खान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा वाद ... /2024 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील की पुश्त पर की गई रिपोर्ट पर अपील के क्षेत्राधिकार हेतु बहस आवश्यक अंकित किया गया। अभिभाषक अपीलांट को अपील के क्षेत्राधिकार पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि आराजीयात खसरा संख्या 1797 व 1799 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8900 है0 वाकै ग्राम बगराई तहसील भिनाय जिला केकड़ी बाबत् बयनामा दिनांक 30.03.2023 को प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा वादीगण/अपीलांटस के हक में निष्पादित कराया गया है एवं निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द कराया है। जिसके आधार पर अपीलांटस उक्त आराजीयात पर काबिज खातेदार चले आ रहे है। पूर्व में जय सिंह पुत्र हरि बैरवा उक्त आराजीयात के खातेदार रहे है। जिनके द्वारा भूमि विकास बैंक से राशि रूपये 26,77,000/–का ऋण ले रखा था जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज नहीं हो सका है व वादीगण/अपीलांटस द्वारा उक्त राशि जमा कराई जाकर विवाद निस्तारण कराया गया है एवं पृथक से नकद राशि भी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को अदा की गई है। रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण कब्जे के अभाव में अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है जिन्हे जरिये स्थाऱी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र पर दिनांक 11.12.2024 को रिपोर्ट अलमद द्वारा की गई। जिस पर बिना प्रकरण को दर्ज किए अवैधानिक रूप से प्रस्तुत वाद को प्राथमिक स्तर पर ही बिना किसी आधार के अस्वीकार किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। आदेश 07 नियम 10 जा.दी. के तहत सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत किए जानें हेतु लौटाया जा सकता है किन्तु प्रकरण को किसी भी रूप से निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है, इस हेतु जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित आदेश से प्रस्तुत वाद को निरस्त किए जाने में त्रुटि कारित की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोधहै कि अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपील में स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना जाकर आदेश किये जावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र के प्रथम पृष्ठ की पुश्त पर की गई रिपोर्ट में विवादित आराजी किस्म गै.मु.ईट भट्टा की है का	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नन्दकिशोर वगैरह बनाम श्रीमती प्रेम देवी व अन्य

किस्म मुकदमा– 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –: 322/2024 (भिनाय)

श्री हमन चन्द ए-

लगातार

क्षैत्राधिकार नहीं माना है तथा वाद–पत्र इकरारनामें के आधार पेश किया हुआ बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद–पत्र को क्षैत्राधिकार में नहीं होने विधि सम्मत खारिज किया है। इस अपील भी न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, नम्बर से कम हों । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner